

**स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश**

संख्या-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

121

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया/सुपौल/वैशाली(हाजीपुर)/गया ।

पटना, दिनांक :- 19-12-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-पी 2230011140102) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5234 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, अररिया का पत्रांक-114, दिनांक-01.12.16 के आलोक में मृतक-परवेज, आश्रित-मुद्दी (पिता) ग्राम-बेलबाड़ी भगवानपुर, पो.-अररिया बैरगाछी थाना+प्रखण्ड-जोकीहाट, जिला-अररिया के भुगतान हेतु।
2	सुपौल	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधी०, सुपौल का पत्रांक-238 दिनांक 29.11.16 के आलोक में मृतक-स्व० अमीत कुमार आश्रित- श्री राज नारायण चौधरी (पिता) ग्राम-भेलाही, वार्ड नं.-21, नगर परिषद्, पो+थाना-सुपौल, जिला-सुपौल के भुगतान हेतु।
3	वैशाली (हाजीपुर)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, वैशाली का ज्ञापांक-1449, दिनांक-18.11.2016 के आलोक में मृतक-स्व० प्रमोद राय आश्रित-मु० पिकी देवी (पत्नी) ग्राम-मोहनपुर धनराज, पो०- शेरपुर छातवारा, थाना+प्रखंड-महुआ, जिला-वैशाली के भुगतान हेतु।
4	गया	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, गया-01 का पत्रांक- 1320, दिनांक-30.11.2016 के आलोक में मृतक-स्व० प्रदीप कुमार आश्रित-रीना देवी (पत्नी) ग्राम-झिकटिया, पो.-सोलरा, थाना-परैया, जिला-गया के भुगतान हेतु।
कुल		04		400000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

↑

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०- 121 पटना, दिनांक 19-12-16
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०- 121 पटना, दिनांक- 19-12-16
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/
***संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2**
सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त(शोध) को उनके गै.सं.प्रे.सं०-359(श्रम पक्ष) दिनांक-8.12.16 के आलोक में/
प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-309/16 श्र०सं०- 121 पटना, दिनांक 19-12-16
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।